Website-http://ukwms.org
E-mail-ceouk@wakf.gov.in

उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड
अल्पसंख्यक कल्याण भवन, भगत सिंह कालोनी, देहरादून–248001

पत्रांकः–780 /उ.व.बोर्ड/919 (E-50788) /2024–25 दिनांक–7 सितम्बर, 2024

संशोधित विज्ञप्ति

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा वक्फ अधिनियम, 1995 (यथासंशोधित, 2013) की धारा–83 की उपधारा–4(ग) एवं सपठित उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड नियम, 2017 के नियम–65 के अन्तर्गत मा0 वक्फ अधिकरण, कुमाऊं मण्डल हल्द्वानी, नैनीताल एवं मा0 वक्फ अधिकरण, गढ़वाल मण्डल, देहरादून में रिक्त 01–01 सदस्य (वेतनमान रू0 15600–39100, ग्रेड पे रु0 7600/–) के पद पर चयन हेतु योग्य अभ्यर्थियों से इस कार्यालय के विज्ञप्ति संख्या–709 दिनांक–31 अगस्त, 2024 के द्वारा आवेदन पत्र आमत्रित किये गये थे। उक्त विज्ञप्ति में शासन के पत्र संख्या–562/XVII-B-1/2024–07(27)2014 दिनांक–06 सितम्बर, 2024 के द्वारा अनिवार्य योग्यता के कॉलम–5 में निम्नवत् संशोधन किये जाने का निर्देश हुआ है, जो कि निम्नवत् हैः–

शासनादेश संख्या–488/XVII-B-1/2024–07(27)2014 दिनांक–29 अगस्त, 2024 द्वारा पूर्वानुमोदित विज्ञप्ति में निर्धारित योग्यता	संशोधित अनिवार्य योग्यता
1	2
विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से इस्लामिक अध्ययन/उर्दू/फारसी/अरबी में स्नातकोत्तर उपाधि सहित अथवा विधि स्नातक (उर्दू तथा अरबी के ज्ञान सहित), अभ्यर्थी को अंग्रेजी भाषा का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए।	विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से इस्लामिक अध्ययन/उर्दू/फारसी/अरबी में स्नातकोत्तर उपाधि तथा विधि स्नातक (इस्लामिक विधि के ज्ञान सहित), अभ्यर्थी को अंग्रेजी भाषा का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए।

2– उपरोक्तानुसार विज्ञप्ति की शेष शर्ते यथावत रहेंगी। आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि 18 सितम्बर, 2024 के स्थान पर दिनांक–20 सितम्बर, 2024 अपरान्ह 05.00 बजे तक रहेगी।

नोट– उपरोक्त पदों हेतु जिन आवेदनकर्ताओं द्वारा आवेदन कार्यालय को प्रेषित कर दिया गया है, उन्हें संशोधित अनिवार्य योग्यता के प्रमाण पृथक से कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन अपूर्ण माना जायेगा।

Signed by Syed Shiraz Usman
Date: 07-09-2024 17:17:16

(एस.एस. उस्मान)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी।

पृष्ठांकन संख्याः–780 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव न्याय/अध्यक्ष, चयन बोर्ड, उत्तराखण्ड शासन।
2. उप सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन को पत्र संख्या–562/XVII-B-1/2024–07(27)/2024 दिनांक–06 सितम्बर, 2024 के क्रम में सूचनार्थ
3. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड को इस अनुरोध के साथ कि कृपया उपरोक्त विज्ञप्ति के व्यापक प्रसार हेतु अल्पसंख्यक कल्याण भवन में स्थापित अधिष्ठानों की विभागीय वैबसाईट पर प्रदर्शित कराये जाने हेतु सम्बन्धितों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
4. सम्पादक, अमर उजाला, दैनिक जागरण एवं हिन्दुस्तान, देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त विज्ञप्ति को शासकीय दरों पर 12X12 सेमी के कॉलम में सम्पूर्ण उत्तराखण्ड के संस्करणों में प्रकाशित कराते हुए बिल भुगतान हेतु कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी।

Generated from eOffice by Rajendra Prasad Pant, JuniorAss.waqf, JUNIOR ASSISTANT, DEPT-MINORITY on 07/09/2024 05:20 pm